



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234712
CG-DL-E-31032022-234712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1428]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944

No. 1428]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1471(अ).—केंद्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3220(अ), तारीख 19 नवंबर, 2015 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 1 दिसंबर, 2015 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“श्री संजय कुमार

मुख्य महाप्रबंधक (सेवा)

कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त भार सहित (निर्माण),

बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील प्लांट,

जिला बोकारो, झारखंड”।

[फा. सं. 8(52)/2015 - सेल-(पीसी)-भाग]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3220 (अ), तारीख 19 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1701 (अ), तारीख 3 मई, 2016, का.आ. 1958 (अ), तारीख 17 मई, 2019 और का.आ. 2477 (अ), तारीख 29 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

S.O. 1471(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, number S.O. 3220 (E), dated the 19th November, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st December, 2015, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 1, for the entry under column (2), the following entry shall be substituted, namely:-

“Shri Sanjay Kumar,
Chief General Manager (Services)
with additional charge of Executive Director (Works),
Bokaro Steel City, Bokaro Steel Plant,
District Bokaro, Jharkhand”.

[F.No. 8(52)/2015-SAIL-(PC)-Part]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 3220(E), dated the 19th November, 2015 and amended vide numbers S.O. 1701(E), dated the 3rd May, 2016, S.O. 1958 (E), dated the 17th May, 2019 and S.O. 2477 (E), dated the 29th July, 2020.